

अह
हुक्म
में

पीठासीन अधिकारी - श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

81/2016

उनवान

स्नेह पिता मांगीलाल उर्फ मांगिया आचार्य (ब्राह्मण) निवासी बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा प्रार्थी

बनाम

1. देव पिता मांगी लाल तेली, निवासी सांसी मोहल्ला, बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
2. राजु पिता सुरजमल जीनगर निवासी सदर बाजार, बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
3. रामपाल पिता मांगीलाल आचार्य, निवासी बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
4. कन्हैयालाल पिता कल्याणलाल आचार्य, निवासी बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
5. चौसीदेवी पत्नि लादुलाल आचार्य, निवासी बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
6. सुगनी पत्नि बालुलाल आचार्य, निवासी बनेडा, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाड़ा

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री मुरारी जोशी, वकील प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक 12.11.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 29.09.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बनेडा, पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि संख्या 538 के आराजी संख्या 5890/1174, 930, 5892/1176, 1228 कुल किता 04 कुल रकबा 15 बीघा दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुरखता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से इस विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा कि उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। इसी दौरान पत्र इस न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केंद्र मुकाम बनेडा में दिनांक 12.11.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए अतः प्रार्थी को निम्न है।

-: आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेडा, पटवार मण्डल बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 538 के आराजी संख्या 5890/1174, 5892/1176, 1228 कुल किता 04 कुल रकबा 02-15 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बैरा को 10/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम

यह आदेश आज दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत केंद्र मुकाम मुख्यालय बनेडा 12.11.2016 को खुले अदालत में सुनाया गया।